न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश, सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :–सदीप कुमार (आर. ए. एस.)

वाद सं.– 176 / 2018 दायरा दिनाक 09.10.2018

रामनारायण पुत्र श्री बीरबलराम जाति ब्राहम्ण साकिन हिन्दौर (हाल निवास राजियासर स्टेशन) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

–प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आरटीए 1955

उपस्थित :– 1. श्री शिशपाल शर्मा अधिवक्ता – वादी
2. राजस्थान सरकार पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़।

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 09.02.2024

पत्रावली वास्ते निणर्य पेश हुई। अधिवक्ता वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के नाम से रोही पीपासर के खसरा न. 138 / 39 में 25.00 बीघा रकबा से पैमूद नया मिन खसरा न. 476 / 138 (138 / 45) का 6.325 हैक. बारानी रकबा सन् 1978 से अस्थाई आवटन होकर गिरदावरीयो में उक्त रकबा वादी के नाम 6.325 हैक. अस्थाई आवटी दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है। जिस पर वादी का आवटन से लेकर आज तक वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है। जैरप्रकरण रकबा की सम्वत् 2061 से 2064 की गिरदावरी तैयार करते समय राजस्व कर्मियो ने वादी के नाम रोही पीपासर के खसरा न. 138 / 39 में 25.00 बीघा रकबा से पैमूद नया मिन खसरा न. 476 / 138 (138 / 45) का 6.325 हैक. बारानी रकबा बिना किसी आधार पर आराजीराज दर्ज कर दिया तथा इसके बाद की जमाबन्दी व गिरदावरी में रकबा आराजीराज ही दर्ज चला आ रहा है तथा राजस्व कर्मियो ने राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी में सम्वत् 2061 ता 64 में वादी की पीठ के पीछे उक्त रकबा को आराजीराज दर्ज कर दिया है। जबकि आज तक वादी का ना तो किसी न्यायालय ने व ना ही किसी अधिकारी ने अस्थाई आवटन निरस्त किया है। इसलिये जैरप्रकरण रकबा को सम्वत् 2061 के बाद की गिरदावरीयो में वादी के नाम उक्त रकबा को अस्थाई आवटी घोषित किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड चालू जमाबन्दी व चालू गिरदावरी में उक्त रकबा को वादी के अस्थाई आवटी दर्ज करने का आदेश दिया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जारी की गई। प्रतिवादी की और से जवाब स्टेट पेश राज्य सरकार के हित सुरक्षित रखते हुये प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया है तत्पश्चात् वादी ने ब्यान प्रस्तुत किये तथा सरकार की और से जिरह की गई।

वादी ने बहस में वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादी के नाम से रोही पीपासर के खसरा न. 138 / 39 में 25.00 बीघा रकबा से पैमूद नया मिन

क्रमश पेज .... 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

वाद सख्या 177 / 2018
बअनवान रामनारायण बनाम राज. सरकार

खसरा न. 476 / 138 (138 / 45) का 6.325 हैक. बारानी रकबा सन् 1978 से अस्थाई आवटन होकर गिरदावरीयो में उक्त रकबा वादी के नाम 6.325 हैक. अस्थाई आवटी दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है। राजस्व कर्मियो ने राजस्व रिकॉर्ड गिरदावरी में सम्वत् 2061 ता 64 में वादी की पीठ के पीछे उक्त रकबा को आराजीराज दर्ज कर दिया है। जबकि आज तक वादी का ना तो किसी न्यायालय ने व ना ही किसी अधिकारी ने अस्थाई आवटन निरस्त किया है। इसलिये जैरप्रकरण रकबा को सम्वत् 2061 के बाद की गिरदावरीयो में वादी के नाम उक्त रकबा को अस्थाई आवटी घोषित किया जावे व राजस्व रिकॉर्ड चालू जमाबन्दी व चालू गिरदावरी में उक्त रकबा को वादी के अस्थाई आवटी दर्ज किया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का गहनता से अवलोकन किया गया। साक्ष्यो से यह पूर्णतया सिद्व है कि जैरप्रकरण रकबा वादी के नाम दर्ज चला आ रहा था परन्तु गिरदावरी सम्वत् 2061 ता 64 बनाते समय सहवन से वादी का नाम छूट गया तथा जैरप्रकरण रकबा राजस्व रिकॉर्ड में आराजीराज दर्ज हो गया है इसलिये वादी के नाम रोही पीपासर के खसरा न. 138 / 39 में 25.00 बीघा रकबा से पैमूद नया मिन खसरा न. 476 / 138 (138 / 45) का 6.325 हैक. बारानी भूमि अस्थाई आवटी घोषित किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादी स्वीकार कर जैर प्रकरण रोही पीपासर के खसरा न. 138 / 39 में 25.00 बीघा रकबा से पैमूद नया मिन खसरा न. 476 / 138 (138 / 45) का 6.325 हैक. बारानी भूमि का वादी को अस्थाई आंवटी घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे राजस्व रिकार्ड गिरदावरी में वादी के नाम अस्थाई आवटी दर्ज करे। यदि कोई रकम राज बनती है तो वादी से वसुल करे। इसीनुसार डिक्री जारी हो। नम्बर से कम हो।

फैसला खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(सदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
सूरतगढ़।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(ओ0 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: अन्तिम डिक्री ::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर

(बइजलास :– सन्दीप कुमार, आर. ए. एस.)

–:: अनवान ::–

रामनारायण पुत्र श्री बीरबलराम जाति ब्राहम्ण साकिन हिन्दौर (हाल निवास राजियासर स्टेशन) तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगगांनगर राजस्थान।

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

–प्रतिवादी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आरटीए 1955 मुकदमा न. 176 वर्ष 2018 वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी शिशपाल शर्मा अधिवक्ता व पैरोकारराज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि :–

अतः वाद वादी स्वीकार कर जैर प्रकरण रोही पीपासर के खसरा न. 138 / 39 में 25.00 बीघा रकबा से पैमूद नया मिन खसरा न. 476 / 138 (138 / 45) का 6.325 हैक. बारानी भूमि का वादी को अस्थाई आंवटी घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वे राजस्व रिकार्ड गिरदावरी में वादी के नाम अस्थाई आवटी दर्ज करे। यदि कोई रकम राज बनती है तो वादी से वसुल करे।

नोज ....X.......... मुबलिग .... X .... बाबत .... X .... खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बशरह .... X .... फस्दो की पालना .... X .... आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें। बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 09.02.2024 को जारी की गई।

(सदीप कुमार)

उपखण्ड अधिकारी

सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)